BA-I, Paper 2 (Comparative Politics)

TOPIC – व्यवस्थापिका (UK, USA, Switzerland, Russia)

Date – 15.05.2020

Book reference – C.B. Gupta, Pukhraj Jain (Tulnatmak Rajniti)

Seema Kumari
Asst. Prof. (Pol. Sc.)
RMC, Sasaram

व्यवस्थापिका (विधायिका)

तुलनात्मक राजनीति में विधायिका को तकनीकी रूप से नियम निर्माता विभाग कहा जाता है। विधायिका जिसके लिए संसद नाम सबसे अधिक प्रचलित है राजनीतिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। Parliament शब्द का अर्थ बातचीत है, यह फ्रेंच शब्द पार्ले और लैटिन शब्द 'पार्लियामेंटम' से व्युत्पन्न है। विधायिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं विधायिकाएं जनमत को प्रतिबिंबित करती है।

विधायिका का गठन :– 1. एक सदनी 2. दो सदनी

एक सदन व्यवस्था में विधायिका जनप्रतिनिधित्व पर आधारित होती है, विधि निर्माण की पूरी जिम्मेदारी इसी पर होती है। जैसे: न्यूजी लैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, चीन जैसे देश। भारतीय राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और केरल में।

दो सदनी व्यवस्था :–

1. उपरी सदन
   - USA – Senate
   - UK – House of ~~Commons~~ Lords
   - India – Rajya Sabha

2. निचला सदन
   - अधिक प्रतिनिधि
   - जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित
   - भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी

Scanned with CamScanner

अमेरिकी व्यवस्थापिका :- USA (United States of America)

USA के केंद्रीय विधानमंडल का नाम कांग्रेस है।

Congress के दो सदन हैं

1. प्रतिनिधि सभा (House of Representatives / Assembly)

1. समूचे अमेरीकी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व
2. निम्न सदन (जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व)
3. प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से
4. सदस्यों की योग्यता 25 वर्ष, अमेरिका का नागरिक
5. HORs का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है इससे पूर्व सदन का विघटन असंभव है
6. HORs के सदस्यों की संख्या संघांतरित राज्य के विधानमंडल की आबादी द्वारा निर्धारित की गई, 30 लाख आबादी पर 1 प्रतिनिधि।
7. HORs के विशेषाधिकार -
   1. आयसंबंधी विधेयकों का प्रारंभ
   2. राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोपण
   3. निर्धारित अवस्था में राष्ट्रपति का निर्वाचन

2. Senate (सीनेट)

1. प्रत्येक राज्य को बराबर का प्रतिनिधित्व।
2. उच्च सदन (समान प्रति०)
3. प्रत्यक्ष निर्वाचन
4. 30 वर्ष, अमेरिका का नागरिक
5. सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष किंतु ~~प्रतिवर्ष राज्य के दो~~ प्रति दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्यों का नया निर्वाचन होता है।
6. प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि।
7. सीनेट के विशेषाधिकार -
   1. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
   2. महाभियोग का निर्णयन
   3. राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का पुष्टिकरण
   4. विदेशी राज्यों के साथ की गई संधियों का पुष्टिकरण

दोनों सदनों को प्राप्त समान अधिकार :-

5. कांग्रेस के दोनों सदनों को दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है।

Scanned with CamScanner

2. दोनों सदनों को अपने अपने निर्वाचनों के समय, स्थान तथा निर्वाचन के ~~समय~~ ढंग को निश्चित करना।
3. संघीय कार्यपालिका के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न संघीय पदाधिकारियों के पदों के निर्माण का अधिकार,
4. न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी कांग्रेस के अंतर्गत है।
5. कांग्रेस को 13 विषयों में विधिनिर्माण का अधिकार है।

USA का द्वितीय सदन सीनेट बहुत शक्तिशाली एंव प्रभावशाली है क्योंकि एक ओर यह अपनी अनुमति एंव मंत्रणा के अधिकार द्वारा राष्ट्रपति को निरंकुश होने से रोकता है और दूसरी ओर हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स के आवेशपूर्ण तथा कम विवेकशील विधेयकों को रोकने में सहायक होता है।

Scanned with CamScanner